भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4260

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण

4260. प्रो. सौगत राय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के मौजूदा परिवार नियोजन कार्यक्रमों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि समाज के कुछ वर्ग देश के परिवार नियोजन कार्यक्रम का अनुसरण करने के इच्छुक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम), राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों, राज्य/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय निगरानी दौरों और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के माध्यम से निरंतर आधार पर की जाती है।

भारत ने एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्राप्त की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (2.1 के टीएफआर) के अनुरूप है। सरकार

गर्भधारण के स्वस्थ समय और अंतराल के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके, तथा प्रजनन प्रबंधन के लिए राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तावित बजट को मंजूरी देकर, सभी क्षेत्रों में प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है।

I. विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प, जिसमें कंडोम, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियाँ, और नसबंदी (आईयूसीडी) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण शामिल हैं, लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक सामग्रियों को नए गर्भनिरोधकों अर्थात् को शामिल कर विस्तारित (छाया) और सेंटक्रोमन (अंतरा कार्यक्रम) इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए किया गया है।

II. मिशन परिवार विकास को सात उच्च फोकस राज्यों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है, ताकि गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में सुधार हो सके।

III. नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मुआवज़ा योजना में लाभार्थियों को उनके वेतन के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है।

IV. लाभार्थियों को प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक प्रदान किया जाता है।

V. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा प्रदायगी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान' और 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया जाता है।

VI. आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भनिरोधकों की घर-घर डिलीवरी योजना।

VII. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन सामग्रियों के प्रबंधन के लिए परिवार नियोजन लॉजिस्टिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस) लागू है।

******